

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
नौएडा दादरी रोड, फेज-II, नौएडा-201305, जिला गौतम बुद्ध नगर.

20.05.2024 को सुबह 10.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री ए बिपिन मेनन, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में आयोजित 100% निर्यात उन्मुख इकाइयों के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का विवरण।

बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मालिक, संयुक्त विकास आयुक्त
2. श्री जगदीश चंदर, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय, अतिरिक्त विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यालय, केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. श्री अजीत कुमार, निवारक समूह-VI, सीमा शुल्क (निवारक), न्यू कस्टम हाउस आईजीआई हवाई अड्डे के पास दिल्ली-110037।

इसके अलावा, अनुमोदन समिति की बैठक के दौरान (i) श्री ग्या प्रसाद, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (ii) श्री एम वी रूहेला, सहायक विकास आयुक्त और (iii) श्री सुनील गुलयानी, आशुलिपिक भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद क्रमवार कार्यसूची पर विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ जहां भी आवश्यक हो, आवेदकों/इकाइयों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

1. (2024) दिनांक 27.02.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन: -

समिति को सूचित किया गया कि 27.02.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए 27.02.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था।

2.1 (2024) यूपी 100% निर्यात उन्मुख इकाई फैक्ट्री स्थापित करने के लिए मेसर्स चंडीगढ़ स्वीट्स लिमिटेड का प्रस्ताव, पता किला नंबर 13/21/1 और 13/22/1 हसामाबाद जिला सोनीपत - हरियाणा, पिन कोड 131021।

समिति को बताया गया कि मेसर्स चंडीगढ़ स्वीट्स लिमिटेड ने निम्नलिखित वस्तुओं के विनिर्माण और निर्यात के लिए किला नंबर 13/21/1 और 13/22/1 हसामाबाद, जिला-सोनीपत-हरियाणा, पिन कोड 131021 में 100% निर्यात उन्मुख इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन किया था:-

क्रम संख्या	वस्तु विवरण	क्षमता	आईटीसी एचएस कोड
1.	काजू मिठाई	100 एम टी	21069099

सुरेन्द्र मालिक

2.1.2 समिति को यह भी बताया गया कि एमईपीजेड, विशाखापटनम और इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र से पूर्ववर्ती सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और प्रतिकूल नहीं पाया गया। इसके अलावा, यह देखा गया कि इकाई का प्रस्ताव इस कार्यालय पत्र दिनांक 06.12.2023 के माध्यम से क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क अधिकारियों को भेजा गया था। इस कार्यालय पत्र दिनांक 13.02.2024 के जवाब में, सीमा शुल्क ने अपने पत्र संख्या जीईएन/ईपीसी/विविध/12/2024-ईपीसी- आरटीकेओ/ओ पीआर कॉमरेड कस्प्रेव-दिल्ली दिनांक 13.02.2024 के माध्यम से अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत की थीं और स्थापना की अनुमति देने की सिफारिश की थी मैसर्स चंडीगढ़ स्वीट्स लिमिटेड द्वारा ग्राउंड फ्लोर, किला नंबर 13/21/1 और 13/22/1, गांव-हसामाबाद, तहसील, जिला सोनीपत-हरियाणा में एक नई निर्यात उन्मुख इकाई पर विचार किया जा सकता है।

2.1.3 बैठक में इकाई की प्रतिनिधि सुश्री तरू अग्रवाल ने भाग लिया। इकाई से नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र विभाग द्वारा जारी स्वीकृति पत्र को समर्पण करने का कारण पूछा गया। इस संबंध में, उन्होंने समिति को सूचित किया कि प्रशासनिक और परिचालन संबंधी मुद्दों और उनके चंडीगढ़ कारखाने से लंबी दूरी के कारण, दोनों इकाइयों का प्रबंधन संभव नहीं था। इसलिए, उन्होंने स्वीकृति पत्र समर्पण कर दिया है और विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर निकलने के लिए भी आवेदन करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि दुनिया भर में निर्यात के साथ मिठाई निर्माण के लिए उनका व्यवसाय 40 वर्षों से चल रहा है। प्रमुख निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा थे, जिनमें काजू कतली और अन्य काजू आधारित मिठाइयाँ सबसे लोकप्रिय उत्पाद थीं। उन्होंने समिति को यह भी बताया कि बाजार की भारी मांग को देखते हुए, उनकी काजू बेस मिठाई के निर्माण के लिए सोनीपत में एक बड़ी कारखाना खोलने की योजना है क्योंकि काजू के आयात की अनुमति केवल निर्यात उन्मुख इकाई के माध्यम से ही है।

2.1.4 समिति ने पाया कि इकाई ने पट्टा विलेख के बजाय सैन्स्टाइम प्राइवेट लिमिटेड और चंडीगढ़ स्वीट्स लिमिटेड के बीच किराया समझौते की प्रति प्रस्तुत की थी, जो केवल 4 साल और 8 महीने की अवधि के लिए वैध है, जबकि प्रक्रियाओं की पुस्तिका (एचबीओपी)-2023 के पैरा 6.01 (जी) के अनुसार, पट्टा विलेख कम से कम 5 साल के लिए वैध होना चाहिए। इस संबंध में, सुश्री अग्रवाल ने बताया कि भारतीय त्योहारों का मौसम आम तौर पर हर साल अगस्त से शुरू होता है और उनका प्रमुख निर्यात बड़ी संख्या में एनआरआई और प्रवासी भारतीय समुदाय वाले देशों को होता है। उन्होंने यथाशीघ्र स्वीकृति पत्र प्रदान करने का अनुरोध किया, जिससे वे त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही उत्पादन और निर्यात शुरू कर सकें।

2.1.5 समिति ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और सर्वसम्मति से 100% निर्यात उन्मुख इकाई की स्थापना के लिए मैसर्स चंडीगढ़ स्वीट्स लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी देने का निर्णय लिया, बशर्ते कि वे मैसर्स सैकटाइम प्राइवेट लिमिटेड मैसर्स चंडीगढ़ स्वीट्स लिमिटेड 3 महीने की अवधि के भीतर के बीच विधिवत पंजीकृत पट्टा विलेख प्रस्तुत करेंगे।

2.2 (2024) यूपी 100% निर्यात उन्मुख इकाई फैक्ट्री स्थापित करने के लिए मेसर्स रावडर पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव, पता 368, ग्राम शेषपुर नारी, परग-हाधा, उन्नाव, यूपी - 209801।

समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स रावडर पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित उत्पादों के निर्माण और निर्यात के लिए 1368, ग्राम शेषपुर नारी, परग-हाधा, यूएनएनएओ, यूपी -209801 में 100% निर्यात उन्मुख इकाई की स्थापना के लिए आवेदन किया था: -

सुरेंद्र मलिक

क्रम संख्या	वस्तु विवरण	क्षमता	आईटीसी एचएस कोड
1.	प्रसंस्कृत सुपारी पावर (मानक इनपुट आउटपुट मानदंड 80)	2000 टन	08028030
2.	भुना हुआ सुपारी पाउडर	1000 टन	21069030
3.	लौंग पाउडर	50 टन	09072000
4.	हल्दी पाउडर	300 टन	09103030
5.	लौंग ओलियोरेसिन	25 टन	33012928
6.	हल्दी ओलियोरेसिन	40 टन	33019014
7.	जायफल का तेल	05 टन	33012931

2.2.2 समिति को यह भी बताया गया कि इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र, एमईपीजेड और फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र से पूर्ववर्ती सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और प्रतिकूल नहीं पाया गया। इसके अलावा, यह देखा गया कि इकाई का प्रस्ताव क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क अधिकारियों को भेजा गया था। इस कार्यालय पत्र दिनांक 15.04.2024 के जवाब में, सीमा शुल्क ने अपने पत्र दिनांक 13.05.2024 के माध्यम से सूचित किया है कि उनके कार्यालय के अधिकारियों की एक टीम ने 1368, ग्राम शेषपुर बीनारी, परग हड़हा, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में स्थित मेसर्स रावडर पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड के 10.05.2024 को सत्यापन के लिए भेजा गया और परिसर का दौरा किया कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया। टीम द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्ट के मद्देनजर, उनके कार्यालय ने उक्त स्थान पर रावडर पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नए 100% निर्यात उन्मुख इकाई की स्थापना की सिफारिश की।

2.2.3 कंपनी के निदेशक श्री शिवेंद्र शुक्ला ने बैठक में भाग लिया और अपने परियोजना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने समिति को बताया कि वे 2020 से इसी क्षेत्र में हैं और 2022 से उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। वे सुपारी पाउडर का निर्यात कर रहे हैं। उनका मुख्य कच्चा माल सुपारी था और इसे इंडोनेशिया से आयात किया जाएगा और तैयार उत्पाद तैयार करने के बाद, वे इसे मुख्य रूप से मलेशिया को निर्यात करेंगे। उन्होंने बताया कि वे मसाला तेल और ओलियोरेसिन का सबसे बड़ा निर्यातक हैं। वे हल्दी को छोड़कर सभी कच्चे माल जैसे लौंग, सुपारी, सुपारी का आयात करेंगे और आयात मुख्य रूप से इंडोनेशिया से किया जाएगा। इकाई ने सूचित किया कि उनकी प्रस्तावित गतिविधियाँ जैसा कि आलेख ज्ञापन में उल्लिखित हैं, सही पाई गईं। स्पाइस बोर्ड और एफएसएसएआई के साथ पंजीकरण के संबंध में उन्होंने बताया कि वे इसके लिए जल्द से जल्द आवेदन करेंगे और रसीद पर प्रति उपलब्ध कराएंगे।

2.2.4 समिति ने हाल ही में की गई जांच के आलोक में कुछ उत्पादों की संवेदनशीलता, आयातित कच्चे माल और निर्यात तैयार माल वाले देशों की भौगोलिक निकटता को देखते हुए आर्थिक व्यवहार्यता, बड़ी अंतर्देशीय दूरी और मूल्यांकन में कठिनाई के कारण माल के विचलन के खतरे को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया। इसलिए समिति ने कमियों के उत्तर प्रस्तुत करने के अधीन, उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या (3) से (7) में उल्लिखित वस्तुओं के निर्माण और निर्यात के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। समिति ने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को यह भी निर्देश दिया कि वह रावडर पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड के पंजीकरण की पुष्टि के लिए स्पाइस बोर्ड को लिखे और 10 दिनों के भीतर जवाब देने का अनुरोध करे अन्यथा यह माना जाएगा कि इकाई को अनुमति पत्र जारी करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

सुरेंद्र मलिक

3. (2024) नई निर्यात उन्मुख इकाई इकाई की स्थापना के लिए आवेदन वापस लेने के लिए मेसर्स प्लास्टी वीव इंडस्ट्रीज एलएलपी का प्रस्ताव।

समिति को सूचित किया गया कि ई-180, एफ183, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, माद्री, उदीपुर-313003 स्थित मेसर्स प्लास्टी वीव इंडस्ट्रीज एलएलपी ने नई निर्यात उन्मुख इकाई की स्थापना के लिए आवेदन वापस लेने के लिए आवेदन किया था।

3.2 आगे बताया गया कि मामला अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया था और समिति ने सर्वसम्मति से क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क से साइट निरीक्षण और व्यवहार्यता रिपोर्ट की प्राप्ति के अधीन 100% निर्यात उन्मुख इकाई की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी देने का निर्णय लिया। इसलिए, इस कार्यालय पत्र दिनांक 07.03.2024 के माध्यम से क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क अधिकारियों से जल्द से जल्द साइट निरीक्षण और व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, हालांकि, रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

3.3 इकाई ने पत्र दिनांक 23.04.2024 के माध्यम से सूचित किया कि अप्रत्याशित स्थिति के कारण, वे निर्यात उन्मुख इकाई योजना के तहत एक नई इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन वापस लेना चाहते हैं।

3.4 समिति ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और मेसर्स प्लास्टी वीव इंडस्ट्रीज एलएलपी के आवेदन को वापस लेने पर ध्यान दिया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक
(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

अ बिपिन मेनन
(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त